गोयल प्रिन्टर्स, भरतपुर-223990

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अदालत SDO मुकाम नदबई

लक्ष्मण बनाम सतीश वगै.

किस्म मुकदमा नं. 27 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/12/25	पत्रावली पेश हुई बवक्त 34-1 दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली मुकम्मल आमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)	

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 लक्ष्मण बनाम सतीश बगै0

दावा बाबत् 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 27/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददव व ....
मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादीगण को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 08.07.2025 के अनुसार हाल विवादित आराजी खाता संख्या 116 के आराजी खसरा नं0 465 रकवा 0.11 किता 1 रकवा 0.11 हैक्टे. वाके ग्राम गाजीपुर व खाता संख्या 148 के हाल आराजी खसरा नं0 348 रकवा 0.48 किता 01 रकवा 0.48 हैक्टे. वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.07.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

बैज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।
ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख.......18/12/25............. को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

जिसमें वादी 1/2 हिस्साव प्रतिवादी 1/2 हिस्सा का खातेदार ...

1. लक्ष्मण पुत्र नत्थी जाति कुम्हार निवासी गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरत

—वादीगण

बनाम

1. सतीश पुत्र नत्थी जाति कुम्हार निवासी गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार, नदबई।

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सचिन यादव (R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
27 / 2023	12.06.2025	18.12.2025

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र नत्थी जाति कुम्हार निवासी गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर

—वादीगण

बनाम

1. सतीश पुत्र नत्थी जाति कुम्हार निवासी गाजीपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नदबई।
3. सब रजिस्ट्रार, नदबई।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री राधेश्याम शर्मा एडवो0 वादी की ओर से

श्री मुकेश शुक्ला एडवो0 प्रतिवादी की ओर से

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए एक्ट

—: <u>अन्तिम पर्चा डिक्री</u> :—

वादी एवं प्रतिवादी (उभयपक्षकारान) अधिवक्तागण की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 18.12.2025 को श्री सचिन यादव उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री जारी की जाती है :—

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं हाल विवादित आराजी खाता संख्या 116 के आराजी खसरा नं0 465 रकवा 0.11 किता 1 रकवा 0.11 हैक्टे. वाके ग्राम गाजीपुर व खाता संख्या 148 के हाल आराजी खसरा नं0 348 रकवा 0.48 किता 01 रकवा 0.48 हैक्टे. वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

वादी व प्रतिवादीगण को मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 08.07.2025 के अनुसार हाल विवादित आराजी खाता संख्या 116 के आराजी खसरा नं0 465 रकवा 0.11 किता 1 रकवा 0.11 हैक्टे. वाके ग्राम गाजीपुर व खाता संख्या 148 के हाल आराजी खसरा नं0 348 रकवा 0.48 किता 01 रकवा 0.48 हैक्टे. वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.07.2025 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 08.07. 2025 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई